प्रेस नोट दिनांक 07-07-2021

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा मौहल्ला मधुबन विहार कालोनी मे दिनांक 05/07/2021 की रात्रि में हुई वृद्ध महिला की हुई हत्या की घटना का किया सफल अनावरण, तीन हत्यारोपी गिरफ्तार, कब्जे से घटना के समय चोरी किया गया जेवर व नगदी बरामद :-

अवगत कराना है कि दिनांक 05/07/2021 को मौहल्ला मधुबन विहार कालोनी की रहने वृद्ध विधवा महिला श्रीमती राजबाला पत्नी स्व0 ऋषिपाल उम्र 62 वर्ष की अज्ञात व्यक्तियो द्वारा गला दबाकर व मारपीट कर हत्या करने तथा मृतका का जेवर व नगदी भी बक्शे से गायब होना मृतका के पुत्र द्वारा बताया गया था। घटना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 303/2021 धारा 394,302,120बी भादवि पंजीकृत किया गया था। इस घटना के अनावरण हेतु वरिष्ट पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवम क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, सहारनपुर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा तत्परता से एवम गहनातपूर्वक विवेचना एवम सुरागरसी व पतारसी करते हुए घटना में संलिप्त रहे अभियुक्तो का पता लगाने की दिशा में प्रयास किये गये, जिसके फलस्वरुप आज दिनांक 07/07/2021 को समय 06.00 बजे प्रातः आई0टी0सी0 चौराहे के पास से अभियुक्त 1-विपिन पुत्र सुक्कड निवासी बुड्ढा खेडा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर 2-राहुल पुत्र सुभाष निवासी वेद विहार थाना सदर बाजार सहारनपुर गिरफ्तार किया गया। दोनो अभियुक्तो से थाने पर लाकर की गयी गहन पूछताछ पर इनके द्वारा **मृतका के घर में रखे जेवर व पैसो की जानकारी मृतका की पुत्रवधु श्रीमती रुपा पत्नी ललित (अभियुक्त विपिन की बहन) द्वारा दिया जाना तथा रुपा द्वारा बतायी गयी योजना के अनुसार दिनांक 04/05-07-2021 की रात्रि में मृतका के घर में घुसकर उसके घर के कमरे से जेवर व नगदी चोरी करना तथा चोरी करने के समय मृतका द्वारा जाग जाने तथा इन्हे पकडने का प्रयास करने के दौरान पहचाने जाने के डर से मृतका के हाथ दुपट्टे से बांधकर तथा चादर से मृतका का गला व मुह दबाकर हत्या करना स्वीकार किया मृतका के घर से चोरी किये गये जेवरात व नगदी को अभियुक्त विपिन द्वारा अपनी बहन के घर में अलमारी में छुपाकर रख देना तथा सारी घटना की जानकारी अपनी बहन रुपा को भी देना बताया।** अभियुक्तगण की निशा देही पर घटना में चोरी किया गया जेवर व नगदी श्रीमती रुपा की अलमारी से बरामद की गयी। घटना का तत्परता से सही अनावरण करने पर मृतका की पुत्रियो तथा पुत्र द्वारा प्रशंसा की गयी। घटना के षडयन्त्र मे शामिल रहने तथा लूटी गयी सम्पत्ति को छुपाने मे सहयोग करने मे संलिप्त अभियुक्ता श्रीमती रुपा पत्नी ललित को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- विपिन पुत्र सुक्कड निवासी बुड्ढा खेडा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।
- राहुल पुत्र सुभाष निवासी वेद विहार कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर।
- श्रीमती रुपा पत्नी ललित निवासी किराये का मकान वेद विहार कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 जोडी हाथो के पचांगले(हथफूल) सफेद धातू के
- 02 पाजेब सफेद धातू
- 01 कुन्डल पीली धातू
- 10-10 रुपये के नोटो की 3 गड्डिया (3 हजार रुपये)

अभि0 विपिन का आपराधिक इतिहास:-

- *मु0अ0सं0 166/21 धारा 427,511,380, भादवि* थाना सदर बाजार स0पुर।
- मु0 अ0 सं0 167/21 धारा 414, 465 भादवि थाना सदर बाजार स0पुर।
- मु0 अ0 सं0 169/21 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार स0पुर।
- मु0 अ0 सं0 303/21 धारा 394, 302, 120 बी, 411 भादवि थाना सदर बाजार स0पुर।

अभि0 राहुल का आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 208//21 धारा 379, 411 भादवि थाना सदर बाजार स0पुर।
- मु0 अ0 सं0 303/21 धारा 394, 302, 120 बी. 411 भादवि थाना सदर बाजार स0पुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- श्री हरेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार, स०पुर
- व0उ0नि0 श्री मनोज कुमार यादव थाना सदर बाजार, स०पुर
- उ0नि0 श्री के0पी0 सिंह थाना सदर बाजार स0 पुर
- उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना सदर बाजार, स०पुर
- का0 1978 अजीत सिंह व का0 241 राहुल शर्मा का0 1707 अनुज व का0 1967 अनुज कुमार , थाना सदर बाजार, स०पुर

प्रेस नोट दिनांक 07–07–2021
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), सहारनपुर द्वारा 04 अभियुक्तो के विरुद्व की गई जिला बदर की कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), सहारनपुर द्वारा 04 अभियुक्तो को धारा 03 यूपी गुण्डा एक्ट के अर्न्तगत दोषी पाते हुये जनपद की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिये निष्कासित किया गया हैं। निष्कासित किये गये अभियुक्तों का विवरण निम्नवत् हैंः–

- ❖ सलीम पुत्र अनवर मुदारी निवासी अल्लावली गली कमेला कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर।
- ❖ नदीम पुत्र अनवर मुदारी निवासी अल्लावली गली कमेला कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर।
- ❖ साजिद पुत्र ताल मोहम्मद निवासी चांद कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर।
- ❖ मुकीम पुत्र दिलशाद पठान निवासी ग्राम शेखपुरा थाना बेहट, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 07-07-2021

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा गौकशी का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गौकशी के वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये गये अभियान मे जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के निर्देशन मे थाना मिर्जापुर पर दिनांक 07.07.2021 को श्रीमान थाना प्रभारी निरीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पर उ0नि0 सुशील कुमार मय हमराही के ग्राम जानीपुर से गौकशी का 01 वांछित अभि0 जावेद पुत्र सुकरा उर्फ सुकरद्दीन नि0 जानीपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर संबंधित मु0अ0स0 150/21 धारा 379/411 भादवि व धारा 5ए/8 सीएस एक्ट व धारा 11 घ पशु क्रुरता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- जावेद पुत्र सुकरा उर्फ सुकरद्दीन नि0 जानीपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

अपराधिक इतिहासः-

- मु0अ0स0 150/21 धारा /379411 भादवि व धारा /ए58 सीएस एक्ट व धारा 11 घ पशु क्रुरता अधि0 थाना मिर्जापुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-:

- उ0नि0 सुशील कुमार थाना मिर्जपुर जनपद सहारनपुर
- का0 93 रविन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
- का0 141 योगेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 07–07–2021

थाना बडगांव पुलिस द्वारा अवैध शराब खाम सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः–

दिनांक 06.06.2021 को थाना बडगांव पुलिस द्वारा जं0ग्रा0 रेहडा से अभि0 नीठू पुत्र पाल्लाराम निवासी ग्राम सिरसली कला थाना बडगांव सहारनपुर को 20 लीटर अवैध शराब खाम सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 119/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना गंगोह पुलिस द्वारा नशीली गोलियों सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तारः–

दिनांक 06.07.2021 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा दौलतपुर चेक पोस्ट के पास से अभि01–तुषार पुत्र अशोंक निवासी इन्द्री थाना इन्द्री करनाल हरियाणा 2–.ऋषिपाल पुत्र सेवाराम निवासी उपरोक्त 3–बगलू पुत्र रामस्वरूप निवासी उपरोक्त को 825 अवैध नशीली गोलियो सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 327/21 धारा 8/22, 60(3) एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा एक नाजायज चाकू व अवैध देशी शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तारः–

दिनांक 06.07.2021 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा गाडा नदी रफता से अभि0 मोहित पुत्र रमेश चन्द निवासी खेडकी थाना पुरकाजी मु0नगर को एक नाजायज चाकू व कस्बा मिर्जापुर से अभि0 मुस्तकीम पुत्र याकूब निवासी लाखनवाला थाना सहसपुर देहरादून उत्तराखण्ड को 18 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर क्रमशः मु0अ0सं0 162/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट एवं मु0अ0सं0 163/21 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना मण्डी पुलिस द्वारा नाजायज चरस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः–

दिनांक 06.06.2021 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा मेन रोड खाताखेडी से अभि0 मौ0 शहजाद पुत्र मौ0 सईद निवासी दतोली रामगढ थाना को0देहात सहारनपुर को 130 ग्राम नाजायज चरस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 366/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः–

दिनांक 06.06.2021 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा ढमोला नदी पुल से अभियुक्त शान मोहम्मद उर्फ शानू पुत्र शाहनवाज उर्फ मुन्ना निवासी बासारान थाना कु0शेर सहारनपुर को अवैध एक तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कु0शेर पर मु0अ0सं0 197/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीड़िया/सोशल मीड़िया सेल
सहारनपुर।